

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 19.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमैन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।



थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 18.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई 30नि0 कलीम उस्मानी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा 01 नफर अभियुक्त रामप्रकाश पुत्र रघुनन्दन प्रसाद उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा के कब्जे से एक बोरी में 15 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नायायज बरामद करते हुए ग्राम शिवहार के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामप्रकाश पुत्र रघुनन्दन प्रसाद उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 कलीम उस्मानी
2. का0 दिनेश कुमार यादव
3. का0 जीतेन्द्र सिंह गौतम
4. का0 दीपक मौर्या



थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र का निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 18.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष उ०नि० श्री प्रवीण कुमार द्वारा गठित की गई उ०नि० राधामोहन त्रिवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखिबर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त अमर सिंह पुत्र मिजाजी यादव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मिस कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम इन्द्रहटा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 165/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास

अमर सिंह पुत्र मिजाजी यादव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा का अपराध इतिहास- 1. मु०अ०सं० 198/2022 धारा 323/376/452/504/506 भादवि० थाना अजनर महोबा ।
2. मु०अ०सं० 103/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर।
3. मु०अ०सं० 165/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० राधामोहन त्रिवेदी
2. उ०नि० योगेश रावत
3. उ०नि० अभिषेक कुमार
4. का० प्रताप विक्रम सिंह
5. का० सूर्याश प्रताप सिंह बन्देला



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में श्रावण मास व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 18.08.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के 30नि0 रामकृष्ण तिवारी मय हमराह 30नि0प्रशि0 पवन गौड द्वारा 01 नफर अभियुक्त भानू प्रताप पुत्र मुरलीधर धीमर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम अस्थौन थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से एक झोले में 25 अदद क्वार्टर देशी शराब ड्रूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भानू प्रताप पुत्र मुरलीधर धीमर उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम अस्थौन थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 रामकृष्ण तिवारी
2. 3.नि.प्रशिक्षु पवन गौड

